बिहार सरकार

<u>लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग</u>

**आदेश**

संचिका संख्या–5/आ0–4–108/2014– 966 पटना, दिनांक– 27/11/

मो0 एकरामुल हसन, तत्कालीन कनीय अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, अररिया सम्प्रति–कनीय अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, जहानाबाद के विरूद्व झारखंड राज्य में योगदान करने हेतु मूल पद से विरमित होने के पश्चात भी बिना सक्षम प्राधिकार के अनुमति के जिला परिषद, अररिया के कार्यालय में कार्यरत रहने, झारखंड राज्य से बिहार राज्य में सेवा आवंटित होने के पश्चात मुख्यालय पटना में योगदान नही करने, भरगामा एवं अररिया प्रशाखा का स्थल लेखा का प्रभार देने में अनावश्यक बिलम्ब करने तथा अपने चल एवं अचल सम्पत्ति का ब्यौरा विभाग में समर्पित नही करने आदि संसुचित आरोपों का मामला विभाग के संज्ञान में आया। उक्त संसूचित आरोपों पर दिनांक–12.04.2014 को विभागीय शिकायत निवारण समिति की सम्पन्न बैठक में विचारोपरांत मो0 एकरामुल हसन के विरूद्व उक्त सभी आरोप प्रथम द्रष्टया प्रमाणित पाये गये। उक्त के आलोक में समीक्षोपरांत यह निर्णय लिया गया है कि मो0 एकरामुल हसन, तत्कालीन कनीय अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, अररिया, सम्प्रति–कनीय अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, जहानाबाद के विरूद्व प्रपत्र 'क' में आरोप गठित करते हुए प्रथम द्रष्टया प्रमाणित आरोपों के आलोक में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–17 (2) के तहत विभागीय कार्यवाही प्रारंभ की जाय।

2. विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु श्री निखिलेन्दु निखिल क्षेत्रीय मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग मुजफ्फरपुर प्रक्षेत्र, मुजफ्फरपुर को जांच संचालन पदाधिकारी एवं कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, अररिया को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है।

3. आरोपित मो0 हसन, आदेश प्राप्ति की तिथि से 10 कार्य दिवसों के भीतर, उस तिथि एवं उस समय पर, जो जांच संचालन पदाधिकारी इस निमित्त लिखित नोटिस द्वारा विनिर्दिष्ट करें अथवा उनके द्वारा यथा विनिर्दिष्ट उस अतिरिक्त 10 दिनो से अनाधिक समय के भीतर, उनके समक्ष स्वयं उपस्थित होंगे तथा अनुबंध में विनिर्दिष्ट आरोपों के संबंध अपना लिखित बचाव बयान समर्पित करेंगे।

4. उक्त संचालन पदाधिकारी से अपेक्षा की जाती है कि सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–17 में विहित प्रावधानो के अनुसार जांच कार्य संपन्न करेंगे तथा [illegible] जांच प्रतिवेदन उपलब्ध करायेंगे।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0/–

(दिनेश्वर प्रसाद सिंह)

अभियंता प्रमुख–सह–विशेष सचिव

ज्ञापांक– 5/आ0–4–108/2014– 966 पटना, दिनांक– 27.11.16

प्रतिलिपिः–आरोप पत्र की प्रति के साथ मो0 एकरामुल हसन, तत्कालीन कनीय अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, अररिया, सम्प्रति–कनीय अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, जहानाबाद/जांच संचालन पदाधिकारी, श्री निखिलेन्दु निखिल, क्षेत्रीय मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग मुजफ्फरपुर प्रक्षेत्र, मुजफ्फरपुर एवं प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी, कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, बेगुसराय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

24.11.2016

(दिनेश्वर प्रसाद सिंह)

अभियंता प्रमुख–सह–विशेष सचिव

ज्ञापांक– 5/आ0–4–108/2014 966 पटना, दिनांक– 27.11.16

प्रतिलिपिः–प्रधान सचिव के आप्त सचिव/अपर सचिव/उप सचिव/अवर सचिव /सभी मुख्य अभियंता/सभी अधीक्षण अभियंता/सभी कार्यपालक अभियंता/ प्रशाखा पदाधिकारी–प्रशाखा 1 एवं 2 तथा आई0टी0 मैनेजर, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

24.11.2016

(दिनेश्वर प्रसाद सिंह)

अभियंता प्रमुख–सह–विशेष सचिव